1. (1) This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 1980.

2. In the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, in sub-paragraph (2) of paragraph 12, for the words, brackets and figures "three and point five (3.5) per centum, the words, brackets and figures "three (3) per centum", shall be substituted.

Explanatory Memorandum

In terms of the provisions contained in sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, the employers are required to pay to the Coal Mines Provident Fund, certain amount, over the above the employer's and as well as member's contributions, to defray the cost of administration of the Fund known as the administrative charge. The rate of administrative charge has been prescribed in paragraph 12 of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme which is subject to review from time to time by the Central Government in consultation with the Board of Trustees, Coal Mines Provident Fund as provided for in sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme. The Board reviewed the position in its 81st meeting held on the 25th January, 1980 and recommended to the Central Government reduction in the rate of administrative Charges from 3.5 per cent to 3 per cent of the employer's and the employee's contributions with effect from the 1st April, 1980. The notification seeks to make the amendment in the Scheme with retrospective effect from the 1st April, 1980, as was recommended by the Board. Section 6 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 lays down that a Scheme thereunder may provide that any of its provisions shall come into force either prospectively or retrospectively with effect from such date as may be specified in this behalf. The retrospective operation of the amendment will not adversely effect the interest of any member of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund.

[No. 8(1)/80-Admn. I(PF)(iii)]
A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1981

सा० का० नि० 139.—भारत सरकार के 18 अक्तूबर, 1980 को प्रकाशित राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3(1) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 6 अक्तूबर, 1980 की अधिसूचना संख्या 13-26/78-एन० एच० एम० के अन्तर्गत 1980 के सा० का० नि० 1087 के नियम 5 में आए शब्दों "या पदों" को काट दिया जाए।

[सं० 13-26/78-एन० एच० एम०]
पी० डी० आनन्द, डैस्क अधिकारी

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

ERRATA

New Delhi, the 22nd January, 1981

G.S.R. 139.—In the Notification of the Department of Science and Technology No. 13-26/78-NHM dated the 6th October, 1980 published in part II Section 3(i) of the Gazatte of India dated the 18th October, 1980 G.S.R. No.1087 of 1980 the words "or posts" occurring in Rule 5 of the Notification be deleted.

[No. 13-26/78-NHM]
P. D. ANAND, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

सा०का०नि० 140.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में समूह "ग" के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपायोजन :—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होते हैं।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 15 में निर्दिष्ट हैं।

5 अर्हता :—कोई व्यक्ति,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति:—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्र० सं० पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ प्राप्त है)।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6 (ए)	7
1. हाउस कीपर	चार	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)	260-6-326-द०रो०-8-366 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक शिथिलनीय)। नोट:—भर्ती नियम के कालम 8 में उल्लिखित आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। जो पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाते हैं उनके बारे में उम्मीदवारों की आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेट या इसके समतुल्य अर्हता। 2. नर्सिंग होस्टल/कैंटीन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव।

1	2	3	4	5	6	6ए	7
10 जन-स्वास्थ्य नर्स	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	455-15-560-द० रो०-20-700/ रुपये	चयन	लागू नहीं होता	21 से 35 वर्ष के बीच नोट : भर्ती नियम के कालम 8 में उल्लिखित आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। जो पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाते है उनके बारे में उम्मीदवारो की आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	(i) रजिस्टर्ड नर्स 'ए' ग्रेड। (ii) रजिस्टर्ड मिड-वाइफ (iii) जन स्वास्थ्य नर्सिंग मे डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अथवा बी एस. सी (नर्सिंग)।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हता : हां	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	उन मैट्रिकुलेट स्टाफ नर्सों में से जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(i) उप प्रधानाचार्य—अध्यक्ष (ii) मुख्य प्रशासन अधिकारी—सदस्य (iii) उप-चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य (iv) नर्सिंग अधीक्षक —सदस्य (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	6(क)	7
11 इलैक्ट्रिकल तकनीशियन	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक छूट) नोट : भर्ती नियम के कालम 8 में उल्लिखित आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे	(i) मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समतुल्य अर्हता। (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट

1	2	3	4	5	6	6(क)	7
						के माध्यम से भरे जाते हैं उनके बारे में उम्मीदवारों की आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(i) उप-प्रधानाचार्य —अध्यक्ष (ii) सूक्ष्मजीव-विज्ञान-विभाग का विभागाध्यक्ष —सदस्य (iii) उप-चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य (iv) मुख्य-प्रशासन अधिकारी —सदस्य (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० II-12018/10/78-प्रशासन-II (एम ई-यू जी)]
जी० जी० के० नायर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 21st January, 1981

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, Classification and Scale of pay.—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 3 to 5 of the said schedule.

4. Method of recruitment age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 15 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6	6a	7
10 Public Health Nurse	Two	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 455-15-560-EB-20-700.	Selection	Not applicable	Between 21 to 35 years. Note : The crucial date for determining the age limit mentioned in column 8 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit will in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(i) Registered Nurse 'A' Grade. (ii) Registered Midwife. (iii) Diploma/Certificate in Public Health Nursing or B.Sc. (Nursing).

8	9	10	11	12	13
Age No Educational Qualification : Yes	Two years	By promotion failing which by direct recruitment	From Matriculate Staff Nurses with five years' service in the grade.	(i) Vice-Principal—Chairman (ii) Chief Administrative Officer—Member (iii) Deputy Medical Superintendent—Member (iv) Nursing Superintendent—Member (v) A Co-opted Officer to represent Scheduled Castes/Scheduled Tribes —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	6a	7
11 Electrical Technician	Two	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit	(i) Matriculation or its equivalent. (ii) Diploma Cartificate for Industrial training Institute in Electrical Trade.